मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,
1,तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन नम्बर–0522–2207995/फैक्स न.0522–2206120
ईमेल-igkarmik-up@nic.in
HQRS. DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
1,Tilak Marg, Lucknow-226001
Phone Number-0522-2207995/Fax No.0522-2206120
Email-igkarmik-up@nic.in

संख्या–डीजी–एक–39–2012

दिनांकःजून 12 : 2014

सेवा में,

समस्त आई0पी0एस0 अधिकारी,
उत्तर प्रदेश संवर्ग।
(प्रतिनियुक्ति पर तैनात
अधिकारियों को छोड़कर)।

महोदय,

कृपया आई0पी0एस0 अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में कैशलेस इलाज कराने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 21-3-2014 के संदर्भ में प्रेषित उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद के पत्रांक–12/ए–कैशलेस–2011, दिनांक 6-6-2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस मुख्यालय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि आई0पी0एस0अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु जो अधिकारी अपना टी0ए0 बिल स्वयं आहरित करते हैं,वे अपना व अपने आश्रितों का(आश्रित प्रमाण पत्र सहित)प्रारूप स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं।उनसे नीचे और शुरू के अधिकारीगण अपने उच्चाधिकारियों से कैशलेस इलाज का प्रारूप प्रमाणित कराकर कैम्प कार्यालय,लखनऊ या एस0जी0पी0जी0आई0लखनऊ के थाने पर सूचित कर सीधे इलाज करा सकेंगे।अतः उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 6-6-2014की छायाप्रति संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीया,

(तनुजा श्रीवास्तवा)
पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय,उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को उक्त संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

फैक्स / विशेष वाहक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

संख्याः12 / ए–कैशलेस–2011 दिनांकःजून 6 , 2014

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– आई0पी0एस0 अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में कैशलेस इलाज उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत हेल्थ कार्ड के आधार पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को सम्बोधित तथा पुलिस मुख्यालय को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्याःडीजी–एक–39–2012 दिनांक 31–03–2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो अपने मुख्यालय द्वारा निर्गत स्वास्थ्य पत्रक के अनुसार आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में हेल्थ कार्ड सीधे प्रस्तुत किये जाने पर उनका एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्य का मुफ्त इलाज प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के लेखाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबन्ध के अनुसार आई0पी0एस0 अधिकारियों का भी कैसलेश इलाज कराया जाय, ताकि संस्थान द्वारा विभाग के पुलिस कर्मचारियों / अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के इलाज में एकरूपता बनी रहे व कोई असुविधा न उत्पन्न हो सके।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्याः पी0जी0आई0 / आ0ले0 / यू.पी.पी. / 268 / 63 / 2014 दिनांक 09–04–2014 द्वारा अवगत कराया है कि संस्थान में चिकित्सा सुविधा हेतु एकरूपता बनाये रखने के लिए आई0पी0एस0 अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को कैशलेश चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु जो अधिकारी अपना टी0ए0 बिल स्वयं आहरित करते हैं, वे अपना व अपने आश्रितों का (आश्रित प्रमाण पत्र सहित) प्रारूप स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं। उनसे नीचे और शुरू के अधिकारीगण अपने उच्चाधिकारियों से कैशलेस इलाज का प्रारूप प्रमाणित कराकर कैम्प कार्यालय, लखनऊ या एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के थाने पर सूचित कर सीधे इलाज करा सकेंगे। समस्त पुलिसकर्मी / आई0पी0एस0 अधिकारी इलाज कराने के उपरान्त अपना समस्त मूल बिल एस0जी0 पी0जी0आई0, लखनऊ के लेखा विभाग में जमा करवा देंगे। उक्त व्यवस्था से पुलिस कर्मियों व उनके आश्रितों एवं आई0पी0एस0 अधिकारियों व उनके आश्रितों को एस0जी0पी0जी0 आई0, लखनऊ में कैशलेस इलाज कराने में एकरूपता बनी रहेगी तथा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में इलाज का अतिरिक्त दबाव नहीं बनेगा।

3– अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से समस्त आई0पी0एस0 अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

6.6.14

(ऋचा सिंह)
विशेष कार्याधिकारी, कल्याण,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–श्री आर0पी0 कोठारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी (अस्पताल), एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को उनके पत्र संख्याःपी0जी0आई0 / आ0ले0 / यू.पी.पी. / 268 / 63 / 2014 दिनांक 09–04–2014 के सन्दर्भ में।

7410

पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)
उत्तर प्रदेश
11.6.14